



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था./चार्ज/17/506

जयपुर, दिनांक 27/4/2020

1. जिला कलक्टर,
समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।
3. विकास अधिकारी
पंचायत समिति समस्त।

—: परिपत्र:—


विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 2(28)परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/डीडीओ/05/1207 दिनांक 15.7.2014 एवं 1600 दिनांक 9.8.2019 द्वारा विकास अधिकारियों के पद का अतिरिक्त कार्यभार पंचायत समिति में पदस्थापित परिपत्र में उल्लेखित अधिकारियों के वरियताक्रम में दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये थे।

अतः एतद्वारा पूर्व में विकास अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार देने के सम्बन्ध में जारी समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुये विकास अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरियताक्रम में निम्नानुसार दिये जाने की व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. पंचायत समिति में पदस्थापित वरिष्ठतम सहायक अभियन्ता
2. अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
3. सहायक विकास अधिकारी (वरिष्ठतम)

उपरोक्त के अलावा प्रशासनिक रूप से विकास अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा निकटतम पंचायत समिति में कार्यरत नियमित विकास अधिकारी को दिये जाने का निर्णय जिला कलक्टर के स्तर से लिया जा सकता है।

पंचायत समिति की निधि से संदाय के लिये सभी आदेश एवं चैक पर हस्ताक्षर करने हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)परावि/आ.वि.अ/वि.अ./2010/993 दिनांक 3.5.2010 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित की जावे।


(डॉ. आरुषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं
निदेशक